Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Commission set up under Art. 338A
of the Constitution of India)

File No. 33/Press Clipping/12/CG/2017/RU-III Dated: 07.08.2017

1. Shri Vivek Kumar Dhand,
   Chief Secretary,
   Govt. of Chhattisgarh,
   CM Secretariat, Mantralaya,
   Naya Raipur-492001

2. The Secretary,
   Department of Personnel & Training,
   North Block,
   New Delhi-110001

3. Mrs Reena Baba Saheb Kangale'
   Chairman,
   High Power Certification Scrutiny Committee,
   Govt. of Chhattisgarh,
   Behind Pandit Ravi Shankar University, Raipur

4. Shri P. Dayanand,
   Collector,
   District - Bilaspur,
   Chhattisgarh,

Sub: Press Cilpping published in Dainik Bhaskar, Hindi Newspaper (Raipur) dated 29.06.2017 regarding ST status of Shri Ajit Jogi, Ex-CM of Chhattisgar.

Sir,

I directed to enclose a copy of Proceeding of the Sitting taken by Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes on 03.08.2017 for taking necessary action. The compliance report in the matter may please be furnished to this Commission within 07 days.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director,
Ph. No. 24657271

Copy for necessary action to:-

1. Mrs. Archana Verma, Joint Secretary, DoPT, North Block, New Delhi
2. Shri D.D. Kunjam, Joint Secretary, SC & ST Development Department, Raipur
3. Shri K.D. Kunjam, Additional Collector, District Bilaspur, Chhattisgarh,
4. Shri P.K. Das, Research Officer, NCST, Regional Office, R-26, Sector-2, Avanti Bihar, P.O. Ravigrame, Raipur, Chhattisgar,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.33/Press clipping/12/CG/2017/RU-III)

दैनिक भास्कर समाचार पत्र, रायपुर संस्करण में दिनांक 29.06.2017 को प्रकाशित समाचार "जाति का पता लगाने के लिए बनाई गई कमिटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना" शीर्ष के सन्दर्भ में सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 03.08.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. उपरोक्त प्रासंगिक समाचार को आयोग ने संज्ञान में लिया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 05.07.2017 को आयोजित 97 वीं बैठक में श्री अजीत जोगी को जारी जाति प्रमाण पत्र पर चर्चा की. आयोग ने मुख्य सचिव, छतीसगढ़ सरकार, उच्च शक्ति छानबीन जांच समिति, कलेक्टर बिलासपुर से दिनांक 30.06.2017 को दस्तावेजों सहित की गई कार्यवाही की रिपोर्ट माँगी. दिनांक 03.07.2017 को संस्मरण पत्र भेजकर मामले की जानकारी माँगी गई. आयोग द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर को 20.07.2017 को नोटिस भेज कर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट माँगी. दिनांक 22.07.2017 कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा भेजे गए उत्तर पर आयोग ने निर्णय लिया कि मामला फर्जी जाति प्रमाण पत्र का है, अतः सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार; मुख्य सचिव, छतीसगढ़, राज्य सरकार; अध्यक्ष, उच्च शक्ति छानबीन जांच समिति, छतीसगढ़, राज्य सरकार; एवं कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छतीसगढ़ को सभी दस्तावेजों सहित की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में दिनांक 03.08.2017 आयोग में बुलाया जाय.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2. दिनांक 03.08.2017 को संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार; संयुक्त सचिव, छतीसगढ़, राज्य सरकार; एवं अतिरिक्त कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छतीसगढ़ उपस्थित हुए.

3. उपाध्यक्षा महोदया ने उपस्थित राज्य सरकार के अधिकारियों से की गई कार्यवाही की जानकारी माँगी तथा श्री अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है इसके बारे में पूछा.

4. अतिरिक्त कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छतीसगढ़ ने आयोग को अवगत कराया कि उच्च शक्ति छानबीन जांच समिति द्वारा उन्हें दिनांक 27.06.2017 को पारित आदेश तथा कार्यवाही का पत्र मिला. इसमें छतीसगढ़ सामाजिक प्रस्थिति नियम 13 के नियम 23(4) के अंतर्गत कार्यवाही करने को लिखा गया. तथा उपरोक्त 23(4) के अंतर्गत जिन अधिकारियों ने उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया है उन पर तीन माह में कार्यवाई करने के लिए लिखा है. अतिरिक्त कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छतीसगढ़ ने जाति प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के बारे में कहा कि 23(4) के अंतर्गत निरस्तीकरण के बारे में आदेश नही दिए गए हैं.

5. अतिरिक्त कलेक्टर जिला बिलासपुर को सुनने के उपरान्त आयोग ने जानना चाहा कि क्या उच्च शक्ति छानबीन जांच समिति, छतीसगढ़, राज्य सरकार ने श्री अजीत जोगी को जाति प्रमाण पत्र बिना किसी जांच के ही निरस्त कर दिया है, अथवा ऐसा नही है तो फिर अतिरिक्त कलेक्टर, जिला बिलासपुर किस बात पर जांच कर रहे है? क्या जिला कलेक्टर, बिलासपुर उच्च शक्ति छानबीन, छतीसगढ़ राज्य सरकार की जांच से संतुष्ट नही है?

6. संयुक्त सचिव, छतीसगढ़ सरकार ने आयोग को दिनांक 02.08.2017 को दिए अपने पत्र में आयोग को इस संदर्भ में सूचित किया है. (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है)

7. सीटिंग में अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर के उतर से उत्पन्न प्रश्नों पर विचार करते हुए छतीसगढ़ सामाजिक प्रस्थिति नियम 13 के नियम 23(4) और नियम 23(3) के ऊपर चर्चा की गई. नियमावली के नियम 23(3) और 24 में वर्णित है :- " **झूठे प्रमाण पत्र धारक के विरुद्ध कार्यवाई- लोक नियोजक, शैक्षणिक संसथान या वैधानिक निकाय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जैसा भी मामला हो, का अधिकारी जिसे संवीक्षा समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, संवीक्षा समिति द्वारा जारी निर्णय की सत्यापित**

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रतिलिपि के आधार पर कथित झूठे सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र धारक के विरुद्ध अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 154 की उपधारा (1) के अंतर्गत पुलिस थाणे में लिखित शिकायत दर्ज कराएगा."

8. विमर्श के दौरान यह भी पाया गया कि नियम 23(4) के तहत किसी मामले की जांच करने का उपबंध है जबकि नियम 23(3) के तहत मामले में कार्यवाई का उपबंध है. छतीसगढ़ सामाजिक प्रस्थिति नियम 13 के नियम 23(4) और नियम 23(3) के ऊपर चर्चा के पश्चात् आयोग ने राज्य सरकार को सलाह दी कि अधिनियम के अनुसार उक्त मामले में कार्यवाही करे और तत्संबंधी आदेश पारित करे. आयोग ने उच्च शक्ति छानबीन जांच समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि समिति की रिपोर्ट के अंत में क्रम संख्या 9 पर लिखा गया है कि **"समिति, निर्णय की प्रति कलेक्टर, बिलासपुर को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किये जाने का निर्देश देती है."**
9. संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने भी ऐसे प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाई का संदर्भ देते हुए बताया कि ऐसे मामलों में आपराधिक कार्यवाई की जाती है. अतः उच्च शक्ति छानबीन जांच समिति की रिपोर्ट और छतीसगढ़ सामाजिक प्रस्थिति क़ानून के तहत कार्यवाई करनी अति आवश्यक है.
10. आयोग ने संयुक्त सचिव, छतीसगढ़ सरकार तथा कलेक्टर बिलासपुर को कहा कि अधिनियम की धाराओं और सम्बन्धित नियमों के तहत उचित कार्यवाई करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करें और यथाशीघ्र आयोग को सूचित करें. अन्यथा आयोग बाध्य होकर धारा 338 ए की शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.08.2017 को मुख्य सचिव, छतीसगढ़ को व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होने का नोटिस जारी करेगा. साथ ही कलेक्टर बिलासपुर एफ आई आर दर्ज होने के पश्चात चुनाव आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं सभी सम्बंधित विभागों, संस्थाओं को शीघ्र सूचित करें.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.33/Press clipping/12/CG/2017/RU-III)

विषयः दैनिक भास्कर समाचार पत्र, रायपुर संस्करण में दिनांक 29.06.2017 को प्रकाशित समाचार ''जाति का पता लगाने के लिए बनाई गई कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना'' शीर्ष के संदर्भ में सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2017 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में भाग लेने वाले

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव,
4. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक,
5. निजी सचिव, उपाध्यक्ष
6. श्री डी.सी. कटोच, कंसल्टेंट

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

1. श्रीमती अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव
2. श्री जी. श्रीनिवासन,

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार

1. श्री डी.डी. कुंजम, संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, रायपुर
2. श्री के.डी. कुंजाम, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला बिलासपुर

Govt. Of Chhattisgarh
Office of the Chief Secretary
Mahanadi Bhawan Naya Raipur

No./ F 16-49/2017/25-2/ Naya Raipur, dated 02 AUG 2017

To,

Secretary,
National Commission for Scheduled Tribes
6th Floor, B-Wing, Loknayak Bhavan
Khan Market, New Delhi

Sub.: Press Clipping published in Dainik Bhaskar, Hindi News Paper (Raipur) dated 29.06.2017 regarding ST Status of Shri Ajit Jogi, Ex-CM of Chhattisgarh.

Ref.:
1. Your letter No. 33 press clipping/12/CG/RU-III, dated 30.062017.
2. Your letter No. 33 press clipping/12/CG/RU-III, dated 03.07.2017.
3. Your letter No. 33 press clipping/12/CG/RU-III, dated 27.07.2017.

--00--

Subject and reference captioned above may be perused. The Commission had, vide reference cited at Sl. No.1 above, desired a copy of the decision of the Scrutiny Committee dated 27.06.2017 and action taken on the findings of the Committee as well as cancellation of ST Certificate issued in favour of Shri Ajit Pramod Kumar Jogi. The Commission may be apprised that the Scrutiny Committee has provided a copy of the desired report to Shri P K Das, Senior Investigator, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office at Raipur. A copy of the same is enclosed for ready reference.

The Commission may also be apprised that the Chhattisgarh Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification), Act, 2013 (in short Act, 2013) and Chhattisgarh Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification), Rule, 2013, (in short Rule, 2013) has been enacted/framed to protect the interest of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of citizens in the State from those who fraudulently obtain false Social Status Certificate, certifying that the person belongs to these section of the population, and to provide for punishment for issuing and obtaining false Social Status Certification; and matters connected therewith or individuals therein. A copy of the Act is enclosed for ready reference.

Section 8(2) of the Act, 2013 clearly mandates that 'the order passed by the High Power Certification Scrutiny Committee under this Act, shall be final and conclusive

Rule 23 of the Rules, 2013 stipulates action Subsequent to the decision of the Scrutiny Committee and proceeding thereafter. Rule 23 (4) mandates that; 'the Scrutiny Committee while passing order under sub-rule (2) of this Rule shall issue instructions to the concerned Collector to investigate, whether the Competent Authority knowingly or having knowledge that such certificate was false has issued such False Social Status Certificate or any other person has abetted such offence and the Collector shall forward his report to the State Government, within three months'.

Under provisions of the above, Collector, Bilaspur has been asked, vide letter dated 27.06.2017 (copy enclosed for ready reference), to enquire in to the matter and submit his report . It is worth mentioning that Collector, Bilaspur has apprised that action under Rule 23 (4) of the Act, 2013 is under way, and a brief on the action taken till date is also enclosed for your reference.

It is worth mentioning that Shri Ajit Pramod Kumar Jogi has filed WP (C) No. 2104/2017 with the High Court of Chhattisgarh under provision of Article 226 of the Constitution of India against the decision passed by the Scrutiny Committee and is scheduled for hearing on 09.08.2017.

In the petition inter-alia it is stated in para no. 8.9 - That this Hon'ble court vide order dated 15.12.2006 passed in W.P.(C) No. 2080 of 2001 quashed the entire proceedings and findings of the National Commission as vitiated. This Hon'ble Court also held that the two ministers and an M.L.A. of the ruling BJP Government who became interveners in the writ petition took extra-ordinary interest against the petitioner and the same amounts to political vendetta.

From above it is clear that the proceedings of the "commission" has been duly questioned and challenged in a judicial proceeding hence the subject matter is subjudiced and under judicial scrutiny now .

In the context of the same, vide your letter cited at Ref. 3 above, Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh was requested to appear before the Commission in person on 03.08.2017, hence the Commission may be apprised in this connection that Shri D. D Kunjam, Jt. Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Tribal and SC Development Department, who is well aware of the facts and circumstances related to the case, shall appear before the Commission on behalf, of Chief Secretary to explain the state of facts and circumstance of the subject matter on the prescribed date.

Encl.: As above

(Approved by the Chief Secretary)

Joint Secretary to
Chief Secretary
Govt. of Chhattisgarh

E. No./ F 16-49/2017/25-2/ Naya Raipur, dated 0 2 AUG 2017

Copy to :

Shri D D Kunjam, Jt. Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Tribal and SC Development Department, Mantralaya, Naya Raipur.

Joint Secretary to
Chief Secretary
Govt. of Chhattisgarh